/

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)(24)पोषा/S.H.G./मबावि/2013/

जयपुर, दिनांक:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
अलवर।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
अलवर।

विषय :- आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3 से 6वर्ष के बच्चो को नाश्ता व अतिरिक्त पूरकपोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 10513—45 दि.19.02.08, 27548—58 दि. 03.05.08, 53777—80 दि.08.09.08, 10079—10110 दि.13.02.09, 65394—704 दि.29.09.09, 288—314 दि.01.10.10, 45943—46293 दि.29.06.10, 93954—94003 दि. 29.12.10, दि. 19.01.11, 9564—67 दि. 10.02.11, 9833—897 दि. 14.02.11, 52002—52034 दि. 17.05.11, 51928—960 दि. 17.05.11, 102247—2312 दि. 05.12.11 एवं 34747—812 दि. 27.04.12

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेशों के क्रम में आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3—6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं अतिरिक्त पोषाहार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत **बाल विकास परियोजना, रामगढ़ (अलवर)** का चयन किया जाता है।

1. प्रत्येक आंगबाड़ी केन्द्र के लिए स्वयं सहायता समूहों का चयन विभागीय आदेश दिनांक 19.02.2008 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार ही किया जावे। चयनित स्वयं सहायता समूहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका तथा सहयोगिनी अथवा इनके परिवार के व्यक्ति सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए ऐसा समूह उपलब्ध नहीं है तो अन्य नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध स्वयं सहायता समूह से पूरक पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था कराई जावे।

2. चयनित समूह के साथ अनुबंध (M.O.U.) निष्पादित करते समय समूह से इस आशय का पत्र भी प्राप्त किया जावे कि इस कार्य में उस समूह की और से सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होने पर समूह की और से समूह की किन महिलाओं द्वारा पूरक पोषाहार का निर्माण एवं आपूर्ति की जायेगी।

3. स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार आपूर्ति प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित **कर लिया जावे कि परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर पूर्व में उपलब्ध पोषाहार का पूर्ण रूप से उपयोग हो गया है** तथा इस बाबत् बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी इस आशय का प्रमाण—पत्र भी निदेशालय को प्रेषित करेंगे कि स्वयं सहायता समूहों का चयन विभागीय निर्देशों के अनुरूपं ही किया गया है।

4. (i) बेबी मिक्स पोषाहार के निर्माण के लिए अन्य कच्ची खाद्य सामग्री के अलावा सोयाबीन की आवश्यकता रहती है और सोयाबीन राजस्थान के कई जिले/स्थानों पर या तो उपलब्ध नहीं होता है अथवा अधिक दर पर उपलब्ध होता है इसलिए विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार की सफल क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है कि परियोजना के अंतर्गत सक्षम SHG (जिन्हें Mother SHG भी कह सकते हैं) को सोयाबीन की फसल आने पर जब दरें तुलनात्मक रूप से कम होती है एकमुश्त खरीद के लिए तैयार कर सकते हैं जो चयनित अन्य SHGs को निर्धारित दर पर उपलब्ध करा सके। Mother SHG अपने मार्जिन को जोड़ कर दर निश्चित कर सकते हैं इससे

Mother SHG को भी अर्थोपार्जन का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक क्षमता और इच्छा के आधार पर Mother SHG अन्य सामान का भी थोक में क्रय कर अन्य SHGs को उपलब्ध करा सकते हैं। Mother SHG का मार्जिन युक्तियुक्त होना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सोयाबीन तथा अन्य सामग्री की दर बाजार मूल्य से अधिक न हो।

(ii) कार्यक्रम की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उचित दर पर सोयाबीन और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी स्थानीय दुकानदारों से सम्पर्क कर उन्हें यह अवगत करा दें कि स्थानीय समूहों द्वारा इन सामानों का नियमित अंतराल से सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्रय किया जायेगा। नियमित क्रय के आधार पर कच्ची साम्रगी मुख्यतः सोयाबीन की खरीद दर को युक्तियुक्त कराया जा सकता है।

(iii) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूहों का क्लस्टर फार्म कर पोषाहार निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण अनुदान के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है जब समूह के दस में से सात सदस्य बीपीएल वर्ग के हो। इस स्थिति में लगभग दस समूहों के क्लस्टर द्वारा पोषाहार के लिए कच्ची सामग्री का क्रय होलसेल दर पर किया जाकर पोषाहार का निर्माण एक उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता हैं। निर्मित पोषाहार को क्लस्टर के समूह सदस्य द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर आपूर्ति कराई जा सकती है।

5. स्वयं सहायता समूहों का चयन उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में M.O.U. निष्पादित करेंगे तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए पहले से ही उपलब्ध पोषाहार के समाप्त होने की तिथि के ठीक बाद की तिथि से बेबी मिक्स पोषाहार आपूर्ति प्रारम्भ करने के लिए स्वयं सहायता समूह को सूचित करायेंगे।

6. वर्तमान में दिनांक 01.07.10 से राशि 3.87 प्रति 100 ग्राम की दर प्रभावी है जिसके हिसाब से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए 750 ग्राम बेबी मिक्स के पैकेट की कीमत 3.87 X 7.50 = 29.03 रूपये एवं 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों के लिए 450 ग्राम बेबी मिक्स के पैकेट की कीमत 3.87 X 4.50 = 17.42 रूपये तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए 930 ग्राम बेबी मिक्स के पैकेट की कीमत 3.87 X 9.30 = 35.99 रूपये होगी। आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में (A) चावल के मुरमुरे, भुने चने व गुड़ (B) भुने चने व गुड़ (C) हलवा क्रमशः बदलते हुऐ प्रतिदिवस वितरण करना है जिसकी औसत लागत प्रति लाभान्वित प्रतिदिवस 2.50 रू. निर्धारित है। इस सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 45943–46293 दिनांक 29.06.10 के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

7. चयनित परियोजना में सैक्टरवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या, आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या जिनके लिए स्वयं सहायता समूह का चयन हो चुका है, एम.ओ.यू. निष्पादित हो चुका है, केन्द्रों की संख्या जिनके लिए पोषाहार समूह से प्राप्त करना शुरू हो गया है तथा शेष केन्द्रों की संख्या जहां पोषाहार अभी तक समूहों से प्राप्त नहीं किया गया है उन पर पोषाहार प्राप्त करने की सम्भावित तिथियों की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में प्रत्येक सप्ताह के अन्त में तथा इसी कम में जब तक सभी केन्द्रों पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू नहीं हो जाती है प्रेषित करेंगे :–

<u>परियोजना का नाम</u> ....

क. सं.	सैक्टर का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या					
		कुल संख्या	समूहो को प्रशिक्षण	MOU निष्पादित	उपलब्ध पोषाहार के पूर्ण उपयोग की तिथि	केन्द्रों की संख्या जहां पोषाहार SHG से प्राप्त किया जा रहा है।	केन्द्रों की संख्या जहां पोषाहार SHG से प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

महिला स्वयं सहायता समूहों से पोषाहार की आपूर्ति सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर उपलब्ध पोषाहार पूर्णतया समाप्त होने की दिनांक से प्रारम्भ किया जाकर समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर योजना को लागू किया जाना सुनिश्चित करावें। **किसी भी स्थिति में पूर्व पोषाहार के रहते हुए स्वयं सहायता समूह से पोषाहार नहीं प्राप्त किया जावे।** निदेशालय से उक्त चयनित परियोजना के लिए पूरक पोषाहार का आवंटन नहीं किया जावेगा।

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

एफ.4(1)(24)पोषा/S.H.G./मबावि/2013/ 24491-515 जयपुर, दिनांकः 19/3/13

__प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु__ :–

1. विशेषाधिकारी, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमती शाफिया खांन, जिला प्रमुख, जिला परिषद, अलवर को उनके पत्र कमांक–338 दिनांकः– 14.02.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. समन्वयक–न्यूट्रशन सैल, मुख्यालय।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर)।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ (अलवर)।
10. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को बेबसाईट पर लोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)